न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु0नं0 :– 86 / 2024
निर्णय दिनांक :– 31.12.2024
बइजलास :– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. राजू कुमार बैरवा पुत्र रामदयाल बैरवा, जाति बैरवा निवासी 385, जादौन नगर, ए रेल्वे स्टेशन के पास, दुर्गापुरा जिला जयपुर राज.

वादी

बनाम

1. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला दूदू राजस्थान।

प्रतिवादी

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :– श्री मुकेश चौधरी वकील वादी
पैरोकार सरकार
वाद घोषणा व दुरस्ती इन्द्राज

निर्णय दिनांक :– 31.12.2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 92 के आराजी खसरा नं. 391 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा नं. 392 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, खसरा नं. 393 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, खसरा नं. 394 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, खसरा नं. 395 रकबा 0.0885 हैक्टेयर, खसरा नं. 396 / 1 रकबा 0.3667 हैक्टेयर, खसरा नं. 396 / 2 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, खसरा नं. 397 रकबा 0.4426 हैक्टेयर, खसरा नं. 398 रकबा 0.6955 हैक्टेयर, खसरा नं. 399 रकबा 0.1770 हैक्टेयर, खसरा नं. 412 रकबा 0.5058 हैक्टेयर, खसरा नं. 413 रकबा 0.5058 हैक्टेयर, खसरा नं. 414 रकबा 1.5048 हैक्टेयर, खसरा नं. 512 रकबा 1.2898 हैक्टेयर, खसरा नं. 513 रकबा 1.9220 हैक्टेयर कुल किता 15 कुल रकबा 8.1056 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम श्रीरामगंज तहसील फागी जिला दूदू में स्थित हैं। जिसमें वादी का हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा वादी उक्त हिस्से के एकमात्र खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज काश्त है लगान सरकारी जमा कराता आ रहा है। उक्त आराजी वादी की पैतृक भूमि है जो पूर्व में वादी के पिता स्व. रामदयाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड रही तथा उनकी मृत्युपरान्त जरिये फौती नामान्तकरण

लगातार..................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई वरवक्त फौती नामान्तकरण सं. 1246 दिनांक 14 / 06 / 2022 को राज कर्मचारीयों द्वारा वादी का नाम मजमेआम में जाँच नहीं कर उपर्युक्त वर्णित आराजीयात में वादी का नाम राज कुमार पुत्र रामदयाल दर्ज कर दिया। जबकि वादी का रिकार्डेड असल नाम राजू कुमार बैरवा पुत्र स्व. रामदयाल है वादी कम पढ़ा लिखा होने व परिवार कि जिम्मेदारियों के कारण अपने राजस्व रिकार्ड के इन्द्राज में अपने गलत नाम राज कुमार की जानकारी नहीं रख सका। वादी के आधार कार्ड व बैंक पासबुक में वादी का सही नाम राजू कुमार बैरवा पुत्र स्व. रामदयाल है जबकि राज कुमार पुत्र रामदयाल व राजू कुमार बैरवा पुत्र रामदयाल गाँव श्रीरामगंज में एक ही व्यक्ति है इसलिए वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है इसलिये वादी उक्त आराजीयात की घोषणा व दुरस्ती इन्द्राज करवाने के अधिकारी है। वादी साक्षर व ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है जिसको फौती नामान्तकरण तस्दीक करते समय राज कर्मचारीयो द्वारा सहवन से गलत नाम दर्ज करने की जानकारी प्रारम्भ से ही नहीं रही है। अभी हाल ही दिनांक 11 / 11 / 2024 को वादी अपनी आराजी पर किसान कार्ड बनवाने वास्ते बैंक में गये तो बैंक वालों ने बताया कि राजस्व रिकार्ड में तो तुम्हारा नाम राजू कुमार बैरवा के स्थान पर राज कुमार नाम दर्ज है नाम दुरूस्त होने पर बैंक वालों ने ऋण देने का आश्वासन दिया। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से गलत दर्ज कर दिया हैं वादी उक्त गलती को दुरूस्त कराने के लिये जब प्रतिवादी के पास गया तो प्रतिवादी ने दिनांक 11 / 11 / 24 को उक्त गलती को दुरूस्त करने से इंकार कर दिया एवं मान्य न्यायालय में कार्यवाही करने के लिये कहा इसलिये यह वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। वादी नासमझ होने के कारण राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज कर दिया गया एवं जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है एवं दुरूस्ती के लिये उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी खेतीहर व्यक्ति है जिनकी आजीविका का एकमात्र साधन उक्त आराजी ही है यदि इसे दुरूस्त नहीं किया गया तो वादी के विधिक अधिकारों का हनन होगा एवं वादी को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। उक्त वाद में प्रतिवादी

लगातार..................3

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली, जयपुर

राज्य सरकार का कर्मचारी है जिसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व 2 माह का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं। परन्तु मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण उक्त अवधि वेव फरमाई जाकर न्यायालय की अनुमति से उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी को वाद कारण दिनांक 11/11/2024 को प्रतिवादी द्वारा वादी के नाम को दुरूस्त करने से इंकार करने एवं मान्य न्यायालय से आदेश लाने का कहने पर उक्त वाद मान्य न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद वादीगण अन्दर मियाद प्रस्तुत है। पक्षकार का निवास स्थान व विवादग्रस्त आराजी श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त हैं दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 बाद तामिल उपस्थित आये तथा जवाब पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया।

प्रतिवादी सं0 1 ने अपने जवाब में बताया कि फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 09.12.2024 के अनुसार राजू कुमार बैरवा पुत्र रामदयाल बैरवा एवं राजकुमार बैरवा पुत्र रामदयाल बैरवा ग्राम श्रीरामगंज उपस्थित व्यक्तियों के बताए अनुसार दोनो अलग–अलग व्यक्ति न होकर एक ही व्यक्ति है।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत प्रकरण वाद घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज बाबत प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 वाके ग्राम श्रीरामगंज के खाता संख्या 92 में वादी रिकार्डेड सहखातेदार है। तहसीलदार फागी द्वारा पेश रिपोर्ट अनुसार राजू कुमार बैरवा पुत्र रामदयाल बैरवा एवं राजकुमार बैरवा पुत्र रामदयाल बैरवा एक ही व्यक्ति है। वादी के अन्य दस्तावेज यथा बैंक पासबुक, आधार कार्ड आदि में नाम राजू कुमार बैरवा पुत्र रामदयाल बैरवा दर्ज है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक मे न्यायालय वादी का वाद डिकी किया जाना न्यायोचित समझते है।

लगातार..................4

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर आराजी खतौनी संख्या 92 के आराजी खसरा नं. 391 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा नं. 392 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, खसरा नं. 393 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, खसरा नं. 394 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, खसरा नं. 395 रकबा 0.0885 हैक्टेयर, खसरा नं. 396/1 रकबा 0.3667 हैक्टेयर, खसरा नं. 396/2 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, खसरा नं. 397 रकबा 0.4426 हैक्टेयर, खसरा नं. 398 रकबा 0.6955 हैक्टेयर, खसरा नं. 399 रकबा 0.1770 हैक्टेयर, खसरा नं. 412 रकबा 0.5058 हैक्टेयर, खसरा नं. 413 रकबा 0.5058 हैक्टेयर, खसरा नं. 414 रकबा 1.5048 हैक्टेयर, खसरा नं. 512 रकबा 1.2898 हैक्टेयर, खसरा नं. 513 रकबा 1.9220 हैक्टेयर कुल किता 15 कुल रकबा 8.1056 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम श्रीरामगंज तहसील फागी जिला दूदू में स्थित है आराजीयात में वादी का नाम राज कुमार पुत्र रामदयाल के स्थान पर सही नाम राजू कुमार बैरवा पुत्र स्व. रामदयाल दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा वादी को राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

राजू कुमार बैरवा बनाम तहसीलदार
मु0न0ः— 86 / 2024
निर्णय दिनांकः— 31.12.2024

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास— राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

उनवान

1. राजू कुमार बैरवा पुत्र रामदयाल बैरवा, जाति बैरवा निवासी 385, जादौन नगर, ए रेल्वे स्टेशन के पास, दुर्गापुरा जिला जयपुर राज.

वादी

बनाम

1. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला दूदू राजस्थान।

प्रतिवादी

::— वाद घोषणा व दुरस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा::—

मु0न0ः— 86 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री मुकेश चौधरी हाजिर रूबरू प्रतिवादी पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर आराजी संख्या 92 के आराजी खसरा नं. 391 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा नं. 392 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, खसरा नं. 393 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, खसरा नं. 394 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, खसरा नं. 395 रकबा 0.0885 हैक्टेयर, खसरा नं. 396/1 रकबा 0.3667 हैक्टेयर, खसरा नं. 396/2 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, खसरा नं. 397 रकबा 0.4426 हैक्टेयर, खसरा नं. 398 रकबा 0.6955 हैक्टेयर, खसरा नं. 399 रकबा 0.1770 हैक्टेयर, खसरा नं. 412 रकबा 0.5058 हैक्टेयर, खसरा नं. 413 रकबा 0.5058 हैक्टेयर, खसरा नं. 414 रकबा 1.5048 हैक्टेयर, खसरा नं. 512 रकबा 1.2898 हैक्टेयर, खसरा नं. 513 रकबा 1.9220 हैक्टेयर कुल किता 15 कुल रकबा 8.1056 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम श्रीरामगंज तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अंकन वादी का नाम राज कुमार पुत्र रामदयाल के स्थान पर सही नाम राजू कुमार बैरवा पुत्र स्व. रामदयाल दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा वादी को राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी।

निज..........मुबलिग..........बाबत..........खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ....फीसदी..........सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करे।

आज ब तसदीक मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.12.2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत..........

उपखण्ड अधिकारी

ओहदा..........फागी, जयपुर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबुत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

उपखण्ड अधिकारी

फागी जिला जयपुर